II

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं॰ : 2231562, 2215089, वेबसाईट : www.bsea.bih.nic.in

पत्रांक : नि॰ प्रा॰/ विधि 1-22/2018 1351 /पटना, दिनांक 21/12/2018

प्रेषक,

गिरीश शंकर,
मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स॰ स॰),
पश्चिम चम्पारण, बेतिया/

प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स॰ स॰),
बेतिया ।

विषय : **बेतिया प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति के प्रबंधकारिणी कमिटी के निर्वाचन हेतु मतदाता सूची का प्रकाशन।**

महाशय,

बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा-14 (क) (यथासंशोधित) एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-1273 दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निबंधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

2. प्राधिकार की अधिसूचना संख्या-6476 दिनांक 12.05.2012 द्वारा बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 के तहत निबंधित सभी सहकारी समितियों के निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिए जिला पदाधिकारी को अपने-अपने क्षेत्राधिकार के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स॰ स॰) एवं अधिसूचना संख्या-6477 दिनांक 12.05.2012 द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचल अधिकारी को निर्वाचन पदाधिकारी (स॰ स॰) पदनामित किया गया है। सामान्यतया प्रखंड विकास पदाधिकारी निर्वाचन पदाधिकारी होंगे लेकिन आवश्यक समझे जाने पर जिला पदाधिकारी के आदेश द्वारा निर्वाचन पदाधिकारी का दायित्व अंचल अधिकारी को सौंप सकेंगे।

3. **सम्प्रति प्राधिकार बेतिया प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति, प॰ चम्पारण, बेतिया के प्रबंधकारिणी समिति का निर्वाचन कराना चाहता है।**

4. प्रखंडस्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति की उपविधियाँ में उन योग्यताओं एवं अयोग्यताओं का उल्लेख है, जिनके आधार पर कोई व्यक्ति समिति का सदस्य बन सकता है या अयोग्य घोषित किया जा सकता है। जिला सहकारिता पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया संबंधित समिति से सम्पर्क स्थापित कर उसकी उपविधियाँ की एक प्रति संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी को तुरत उपलब्ध करा देंगे। निर्वाचन पदाधिकारी -सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने स्तर से भी संबंधित समिति की उपविधियाँ स्थानीय स्तर से प्राप्त करने की व्यवस्था करेंगे।

5. बेतिया प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति की मतदाता सूची की तैयारी एवं उसके बाद निर्वाचन के उद्देश्य से प्राधिकार ने दिनांक 30.11.2018 को कट-ऑफ तिथि के रूप में निर्धारित किया है। केवल वैसे व्यक्ति, जो दिनांक 30.11.2018 तक समिति की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं तथा जो अन्य निर्धारित शर्तें पूरी करते हैं, मतदाता सूची में सम्मिलित किये जा सकेंगे।

6. स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की दिशा में एक स्वच्छ मतदाता सूची का निर्माण करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। इस परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा निम्नांकित निदेश दिये जाते हैं :-

i) जिला सहकारिता पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया द्वारा अपने पत्रांक-580 दिनांक 30.08.2018 के आलोक में बेतिया प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति की मतदाता सूची **प्रपत्र-एम 1** में (तीन प्रतियों में) तैयार की जाएगी, जिसकी प्रमाणिकता की जाँच कर जाँचोपरान्त एवं संशोधनोपरान्त (अगर कोई हो) सूची दिनांक **30.12.2018** तक संबंधित समिति के निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध करायी जाएगी। जिला सहकारिता पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया द्वारा उक्त मतदाता सूची के प्रत्येक पृष्ठ को सत्यापित किया जाएगा। यह सुनिश्चित करना जिला सहकारिता पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया की जिम्मेवारी होगी कि मतदाता सूची में दी गयी सूचनाएँ सही है।

ii) जिला सहकारिता पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया द्वारा सत्यापित हस्ताक्षरित मतदाता सूची प्राप्त हो जाने पर निर्वाचन पदाधिकारी इस सूची को प्रारूप मतदाता सूची के रूप में प्राधिकार द्वारा नियत कार्यक्रम के अनुसार विहित स्थलों पर प्रकाशित करेंगे। प्रारूप मतदाता सूची के प्रत्येक पृष्ठ के अंत में संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी का पूर्ण एवं स्पष्ट हस्ताक्षर मुहर सहित अनिवार्य रूप से अंकित रहेगा। मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन की सूचना **प्रपत्र-एम 2** में निर्गत की जायेगी।

7. उक्त प्रखंडस्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति की मतदाता सूची की तैयारी हेतु प्राधिकार द्वारा निम्नांकित कार्यक्रम नियत किया जाता है :-

क्र०	**कार्यक्रम**	**तिथि**
i	जिला सहकारिता पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया द्वारा सूची स्वयं तैयार कर उसे निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध कराना	30.12.2018
ii	निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रारूप मतदाता सूची का विहित स्थलों पर प्रकाशन	03.01.2019
iii	आम नोटिस का प्रकाशन जिसमें मतदाता सूची के संबंध में दावे/ आपत्तियाँ प्राप्त करने की तिथि और प्राप्त दावे/ आपत्तियों के निष्पादन की तिथि अंकित हो	03.01.2019
iv	दावे/ आपत्तियाँ दाखिल करने की अवधि	14.01.2019 तक
v	दावे/ आपत्तियों के निष्पादन के बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन	17.01.2019

8. प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन निम्नांकित स्थलों पर किया जायेगा :-

(क) निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय के सूचना पट पर।

(ख) संबंधित प्रखंडस्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति के कार्यालय के सूचना पट पर।

(ग) जिला सहकारिता पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के कार्यालय के सूचना पट पर।

9. संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा समिति की मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन कर दिये जाने की सूचना जिला सहकारिता पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को उपलब्ध करा दी जायेगी। जिला सहकारिता पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया द्वारा दिनांक 05.01.2019 तक सूचनायें एकत्रित कर दिनांक 07.01.2019 तक इसे निश्चित रूप से प्राधिकार को उपलब्ध करायी जायेगी।

10. प्रारूप मतदाता सूची में अंकित मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाने के संबंध में कोई आपत्ति अथवा प्रारूप मतदाता सूची में किसी का नाम जोड़ने से संबंधित दावा **प्रपत्र-एम 3** में तथा मतदाता सूची के किसी प्रविष्टि से संबंधित विशिष्टियों पर आपत्ति **प्रपत्र-एम 4** में विहित समय सीमा के अंदर ही लिया जा सकेगा। आपत्ति उन्हीं व्यक्तियों द्वारा दी जाएगी, जो संबंधित प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्य हैं। **बाहर के किसी व्यक्ति द्वारा दी गई आपत्ति निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा सिरे से खारिज कर दी जायेगी।**

11. प्रारूप मतदाता सूची में लिपिकीय अथवा मानवीय भूलवश किसी सदस्य, उसके पिता/ पति का नाम एवं पता अथवा समिति के नाम एवं पते में कोई भूल या त्रुटि परिलक्षित होने पर निर्वाचन पदाधिकारी प्रारूप मतदाता सूची में आवश्यक सुधार करने हेतु स्वयं सक्षम होंगे।

12. प्रारूप मतदाता सूची की किसी प्रविष्टि के संबंध में आवेदन पत्र विहित प्रपत्रों में प्राप्त होने पर निर्वाचन पदाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी (उप निर्वाचन पदाधिकारी) द्वारा उसकी सरसरी तौर पर पड़ताल कराई जाएगी तथा आवश्यकता महसूस होने पर संक्षिप्त सुनवाई कर आपत्ति की स्वीकृति/ अस्वीकृति के संबंध में आपत्ति-पत्र पर ही सम्यक आदेश पारित किया जाएगा। तदनुसार मतदाता सूची में आवश्यक संशोधन अनुपूरक मतदाता सूची के माध्यम से कर लिया जाएगा। मतदाता सूची से नाम विलोपित किये जाने के मामले में आपत्तिकर्त्ता का नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं रहने की स्थिति में आपत्ति पत्र स्वीकार योग्य नहीं होगा। इसी तरह मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किये जाने के मामले में आवेदन पत्र के साथ सदस्यता शुल्क प्रमाण-पत्र/ शेयर प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि अनिवार्य रूप से संलग्न होनी चाहिए एवं जाँच के समय मूल प्रतियों की मांग आवश्यक रूप से की जाय। साथ ही साथ आवश्यकता महसूस होने पर इन मामलों से संबंधित समिति से भी प्रतिवेदन/ अभिलेख की मांग की जाय।

13. प्रारूप मतदाता सूची में जो भी परिवर्तन किए जायेंगे, उन्हें **प्रपत्र-एम 5** में दिए गए नमूने के अनुसार एक अनुपूरक सूची के रूप में तैयार किया जाएगा, जिसमें स्पष्ट उल्लेख रहेगा कि प्रारूप मतदाता सूची से कौन सी प्रविष्टि हटायी गयी है, कौन सी प्रविष्टि में आवश्यक संशोधन किया गया है, तथा कौन-सी नई प्रविष्टि जोड़ी गई है। **प्रारूप मतदाता सूची एवं अनुपूरक मतदाता सूची के सम्मिलित रूप को अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची माना जाएगा।** मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन का प्रारूप **प्रपत्र-एम 6** पर देखा जा सकता है।

14. संबंधित प्रखंडस्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति की अंतिम मतदाता सूची के प्रत्येक पृष्ठ के अंत में उसे तैयार करने वाले कर्मी तथा निर्वाचन पदाधिकारी/ प्राधिकृत उप निर्वाचन पदाधिकारी, दोनों द्वारा अंतिम प्रकाशन के दिन हस्ताक्षर किया जाएगा जो इस बात के प्रमाणस्वरूप होगा कि मतदाता सूची सही है, एवं इसमें कोई छेड़-छाड़ नहीं की गई है। सचेत किया जाता है कि प्रारूप मतदाता सूची अथवा पूरक मतदाता सूची की किसी प्रविष्टि में ओवरराइटिंग नहीं हो; किसी भी तरह के सुधार को स्पष्ट अक्षरों में उसके बगल में अंकित कर दिया जाय तथा उसके शीर्ष में सुधार करने वाले पदाधिकारी द्वारा अपना आद्याक्षर (initial) अवश्य कर दिया जाय। अगर निर्वाचन संचालन के दौरान प्राधिकार को मतदाता सूची में संबंधित कर्मियों के स्तर पर कोई गड़बड़ी करने की संपुष्ट शिकायत प्राप्त होगी, तो प्राधिकार इसे काफी गंभीरता से लेगा।

15. मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के समय निर्वाचन पदाधिकारी -सह- प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचल अधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया द्वारा **प्रपत्र-एम 1** में टंकित या कम्प्यूटरीकृत रूप में उपलब्ध कराये गये मतदाता सूची की तीन प्रतियों में से दो का उपयोग करेंगे, एवं एक प्रति का उपयोग मूल अभिलेख (कार्यालय प्रति) के रूप में सुरक्षित रखें।

16. मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के समय अंतिम मतदाता सूची की नौ प्रतियाँ तैयार की जायेंगी। इसकी चार प्रतियों का उपयोग निर्वाचन के समय किया जाएगा तथा शेष बची प्रतियों में से एक प्रति प्रखंड मुख्यालय में अंतिम प्रकाशन के लिए; एक प्रति मत्स्यजीवी सहयोग समिति के कार्यालय में अंतिम प्रकाशन के लिए एवं एक प्रति निर्वाचन पदाधिकारी के यहाँ अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखने के लिए तथा दो प्रति जिला सहकारिता पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को उपलब्ध करा दी जायेगी। **जो सदस्य मतदाता सूची की फोटो प्रति प्राप्त करना चाहें, उन्हें ₹ 1.50/- प्रति पृष्ठ की लागत दर पर निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा फोटो प्रति उपलब्ध करायी जाएगी।**

17. जिला निर्वाचन पदाधिकारी संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी को अपने स्तर से भी प्राधिकार के उपर्युक्त निदेशों से अवगत करा देंगे। निर्वाचन पदाधिकारी अपने स्तर से संबंधित मत्स्यजीवी सहयोग समिति को उपर्युक्त निदेश की जानकारी निश्चित रूप से उपलब्ध करा देंगे।

18. निर्वाचन कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के पहले प्राधिकार के लिए अंतिम रूप से प्रकाशित की जाने वाली मतदाता सूची का संक्षिप्त विवरण जानना आवश्यक है। **दिनांक 17.01.2019 को निर्वाचन पदाधिकारी अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची के संबंध में प्रपत्र-एम 7 पर दिये गये प्रपत्र में एक**

प्रतिवेदन तैयार करेंगे और इस प्रतिवेदन को प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी या अन्य पर्यवेक्षक के माध्यम से जिला सहकारिता पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया **को उसी दिन उपलब्ध करा देंगे।** जिला सहकारिता पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया **प्रपत्र-एम 7 पर दिये गये प्रपत्र में ही संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन को उसी प्रपत्र में फैक्स या विशेष दूत द्वारा दिनांक 21.01.2019 तक निश्चित रूप से प्राधिकार को उपलब्ध करा देंगे।**

19. इस संबंध में पूर्व में प्राधिकार द्वारा निर्गत पत्रांक-929 दिनांक 11.09.2018 एवं पत्रांक-1216 दिनांक 16.11.2018 को विलोपित समझा जाय।

विश्वासभाजन,

(गिरीश शंकर)

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 1351 /पटना, दिनांक 21/12/2018

प्रतिलिपि : जिला सहकारिता पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि वे बेतिया प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति के प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचन हेतु स्वच्छ मतदाता सूची की तैयारी करायेंगे एवं स्वच्छ मतदाता सूची के निर्माण में निर्वाचन पदाधिकारी को आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 1351 /पटना, दिनांक 21/12/2018

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/ प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/ उप विकास आयुक्त -सह- नोडल पदाधिकारी (म० स० स०), पश्चिम चम्पारण, बेतिया/ संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 1351 पटना/ दिनांक 21/12/2018

प्रतिलिपिः श्री मुकेश कुमार ठाकुर, अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 1351 /पटना, दिनांक 21/12/2018

प्रतिलिपिः मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के कोषांग/ अवर सचिव/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी/ सांख्यिकी पर्यवेक्षक, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी